पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का आपराधिक विविध सं. 45081

थाना मामला सं.- 305 वर्ष- 2015 थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद से उत्पन्न

==========

भारती शुक्ला, पत्नी-आलोक कुमार उपाध्याय, हिंदी शिक्षिका, हाई स्कूल + 2, अकौना पुनपुन, पटना, स्थायी पता- गांव-नंदना, डाक - भरथू, थाना- घोसी, जिला-जहानाबाद, वर्तमान पता - जगदीश भवन, मकान सं. एन.वाई.1.एन., न्यू यारपुर, गर्दनीबाग, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना, पिन-800001

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... . विपरीत पक्ष/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री इंद्रदेव प्रसाद, अधिवक्ता
		श्री सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	सुश्री आशा कुमारी, एपीपी

==========

दंड प्रक्रिया संहिता --- धारा 482 --- भारतीय दंड संहिता --- धारा 420, 467, 468, 469, 471, 34 आईपीसी ---- एफआईआर को रद्द करना --- याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने शिक्षक के पद पर एक साथ दो नियुक्तियां पाने के लिए दो अलग-अलग जिलों में एसटीईटी के अपने अंक-पत्रों और प्रमाण पत्रों का धोखाधड़ी से उपयोग किया और इस तरह राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया और एक ही अवधि के दौरान दो अलग-अलग स्थानों पर एक ही सेवा करके गलत लाभ प्राप्त किया --- याचिकाकर्ता को शुरू में जहानाबाद जिले में शिक्षक के पद पर चुना गया था और उसके बाद, उसका चयन पटना जिले में हुआ और उक्त चयन के बाद, उसे जहानाबाद में आधिकारिक तौर पर सेवा से मुक्त कर दिया गया और उसके बाद ही, उसने पटना में कार्यभार संभाला और इन सभी तथ्यों को राज्य ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार कर लिया है --- निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को पहली नियुक्ति से कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिला याचिकाकर्ता, क्योंकि

न तो अभियोजन पक्ष ने यह आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने बेईमानी या धोखाधड़ी से कोई झूठा दस्तावेज बनाया है और न ही जालसाजी के किसी भी उद्देश्य से झूठे दस्तावेज बनाने को दर्शाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सामग्री है और यह एक स्वीकृत स्थिति है कि कथित कृत्य के कारण याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार को कोई गलत नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और न ही याचिकाकर्ता को कोई गलत लाभ प्राप्त हुआ है --- याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित जांच पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है --- याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर के कारण उत्पन्न पूरी आपराधिक कार्यवाही केवल याचिकाकर्ता की सीमा तक ही रद्द की गई है --- याचिका स्वीकार की जाती है। ***(पैरा 4)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

3 28-01-2025 तत्काल याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी') की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 420, 467, 468, 469, 471 के साथ धारा 34 के तहत दर्ज 2015 के जहानाबाद थाना मामला संख्या 305 की प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा 2015 के जहानाबाद थाना मामला संख्या 305 की प्राथमिकी को याचिकाकर्ता की सीमा तक रद्द करने के लिए मुख्य आधार यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी में जैसा आरोप लगाया गया है वैसा कोई अपराध नहीं बनाया गया है, भले ही प्राथमिकी के तथ्यों को याचिकाकर्ता के खिलाफ सच माना जाए और राज्य द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, जालसाजी

और धोखाधड़ी नहीं की जाती है और याचिकाकर्ता के आधार को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि 2015 के जहानाबाद थाना मामला संख्या 305 की प्राथमिकी इस अदालत द्वारा 2014 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. नंबर 15459 में दिए गए निर्देश का पालन करते हुए दर्ज की गई थी, जो जनता से संबंधित कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नियोजित शिक्षकों की एस. टी. ई. टी. की अंक-पत्रियों और प्रमाणपत्रों का उपयोग उनके द्वारा दो अलग-अलग जिलों में शिक्षक के पद पर एक साथ दो नियुक्तियां प्राप्त करने के लिए किया गया था और इस तरह राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ और उसी अवधि के दौरान दो अलग-अलग स्थानों पर एक ही सेवा करके गलत लाभ प्राप्त किया, लेकिन जहां तक याचिकाकर्ता का मामला है हालाँकि, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्हें दो जिलों में चुना गया था पहले जहानाबाद और बाद में पटना में, लेकिन याचिकाकर्ता को शुरू में जहानाबाद जिले में हिंदी शिक्षिका के पद पर चुना गया था और उस पद के लिए एक रोजगार पत्र 12.12.2013 पर जारी किया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने जहानाबाद जिले में हाई स्कूल, सोनवा में 10.01.2014 पर उस पद पर दाखिला लिया और उसके बाद, उन्हें हिंदी शिक्षक के उसी पद पर पटना जिले में चुना गया, जिसके बारे में 04.02.2014 को एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया था और याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर उक्त पद पर कार्यग्रहण करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सोनवा हाई स्कूल, जहानाबाद के प्रधानाध्यापक के कार्यालय में उसे उक्त पद से मुक्त करने की प्रार्थना के साथ एक याचिका दायर की और उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया, तदनुसार, उसे मुक्त कर दिया गया और उसके बाद ही, वह पटना जिले में स्थित अकौना हाई स्कूल में कार्यग्रहण किया, इसलिए, यदि इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाए, तो याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और पूरक हलफनामा के साथ अनुलग्नक दाखिल

करके, याचिकाकर्ता ने अपनी दोनों नियुक्तियों से संबंधित सभी संबंधित कागजात प्रस्तुत किए हैं जैसे कि राहत पत्र, प्रथम और द्वितीय नियुक्ति पत्र आदि।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा की गई उपरोक्त दलीलों को स्वीकार कर लिया और उन्होंने जवाबी हलफनामे के पैरा संख्या 4, 5, 6 और 7 की ओर इशारा किया है और उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह भी स्वीकार किया कि पहली पोस्टिंग स्थान पर, याचिकाकर्ता को उसके आवेदन पर आधिकारिक रूप से मुक्त कर दी गई थी और उस पद पर, उसे कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिला था।

4. दोनों पक्षों को सुना और 2015 के जहानाबाद थाना मामला संख्या 305 की केस डायरी सहित प्रासंगिक सामग्री का अध्ययन किया। जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में जहानाबाद जिले में हिंदी शिक्षिका के पद पर चुना गया था और उसे हाई स्कूल, सोनवा में तैनात किया गया था और उसके बाद उसे पटना जिले में चुना गया और हाई स्कूल, अकौना में तैनात किया गया और उक्त चयन के बाद, उसे आधिकारिक तौर पर जहानाबाद के हाई स्कूल, सोनवा से मुक्त कर दिया गया और उसके बाद ही, वह पटना जिले के हाई स्कूल, अकौना में कार्यग्रहण किया और इन सभी तथ्यों को राज्य द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार कर लिया गया है और यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता को पहली नियुक्ति से कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिला था और इस संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक के साथ दायर किए गए पूरक शपथपत्र प्रासंगिक है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत इन सामग्रियों और उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, प्राथमिकी का कोई भी अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* भी नहीं बनता है, क्योंकि न तो अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने आई. पी. सी. की धारा 463 में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के साथ बेईमानी या धोखाधड़ी से झूठा दस्तावेज बनाया है और न ही जालसाजी के किसी भी उद्देश्य के साथ झूठा दस्तावेज बनाने को दिखाने के लिए कोई *प्रथम दृष्टया* सामग्री है और यह एक

स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित कार्य के कारण राज्य सरकार को कोई अनुचित हानि नहीं हुई है, और न ही याचिकाकर्ता को कोई अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए, 2015 से याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही जांच पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और याचिकाकर्ता एक महिला है और उसने बहुत कुछ झेला है, इसलिए, इस अदालत को याचिकाकर्ता की प्रार्थना में सार मिलता है, इसलिए, 2015 के जहानाबाद थाना मामला संख्या 305 की प्राथमिकी के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्पन्न हुई पूरी आपराधिक कार्यवाही को इसके द्वारा केवल याचिकाकर्ता की सीमा तक रद्द कर दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 2015 के जहानाबाद थाना मामला संख्या 305 के सह-अभियुक्त के संबंध में जांच इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।